न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 45/2022

उनवान

1 नाथू पुत्र श्री बालूराम
2. रूडमल पुत्र स्व0 श्री मांगूराम
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र श्री छीतर
2. कैलाश पुत्र श्री छीतर
3. मुकेश पुत्र श्री छीतर
4. छीतर पुत्र स्व0 श्री भूराराम
5. सुशीला पत्नी श्री अशोक
6. पिस्ता पत्नी श्री कैलाश
7. सुशीला पत्नी श्री मुकेश
8. कमली पत्नी श्री छीतर

समस्त व्यस्क, जाति बुनकर, निवासी देवन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 13-10-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0– 1381 रकबा 0.82, 1382 रकबा 0.34 है0 किता–2 कुल रकबा 1.16 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज है वादीगण अपने परिवारजन के साथ वाद पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं0– 1381 रकबा 0.82, 1382 रकबा 0.34 है0 किता–2 कुल रकबा 1.16 है0 वाकै ग्राम देवन को काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण की वाद पत्र में वर्णित खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण व उसके परिवारजन को कोई संबंध व हक नहीं रहा है। प्रतिवादीगण राजीनामा होने के बाद भी दुर्भावना के चलते वादीगण की उक्त भूमि को जबरन हडप करना चाहते है। दिनांक 26.05.2022 को वादीगण उक्त भूमि में कृषि कार्य कर रहे थे तो प्रतिवादीगण ने वादीगण पर हमला कर जैल में डालने की बात कही। बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन न0 1 लगायत 4 के अनुसार दावा अन्दर मियाद पेश है अतः वादीगण ने वादपत्र में प्रार्थना की है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ मंजूर कर प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी आराजी खसरा नं0 1381 रकबा 0.82, 1382 रकबा 0.34 है0 किता–2 कुल रकबा 1.16 है0 वाकै ग्राम देवन, पटवार हल्का देवन ए, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर से अथवा उसके किसी भी भाग से जबरन बेदखल नहीं करे तथा न वादीगण के उक्त आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करे।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 7.9.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वादी रूडमल ने साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ी ताईद की गई। वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करनै हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण की आराजी खसरा नं0– 1381 रकबा 0.82, 1382 रकबा 0.34 है0 किता–2 कुल रकबा 1.16 है0 वाकै ग्राम देवन, तहसील शाहपुरा से अथवा उसके किसी भाग से जबरन बैदखन नहीं करे तथा न वादीगण के उक्त आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/2022 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर